रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड IV
PART III—Section IV
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2017/वैशाख 12, 1939
No. 180] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2017/VAISAKHA 12, 1939

जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय

अधिसूचना

जम्मू, 10 अप्रैल, 2017

सं. सीयूजे/स्था.टी.104/2016/496.—निम्नलिखित को सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :–

परिनियम - 10 (संशोधित)
कोर्ट का निर्माण

1. कोर्ट नें निम्न सदस्य शामिल होगें:

क्रम संख्य	गठन
	पदेन सदस्य
i-	कुलाधिपति, अध्यक्ष
ii-	कुलपति
iii-	सम कुलपति
iv-	सभी अधिष्ठाता
v-	अकादिमक परिषद के दो सदस्य जो अकादमिक परिषद में शामिल हों
vi-	सभी विभागाध्यक्ष
vii-	कुलाध्यक्ष द्वारा नामित चार सदस्य
viii-	अधिष्ठाता छात्र कल्याण
ix-	कुलसचिव

x-	पुस्तकालयाध्यक्ष
xi-	कुलानुशासक
xii-	परीक्षा नियंत्रक
xiii-	वित्त अधिकारी
	निदेशकों / प्राचार्यों / आचार्यों में से शिक्षकों के प्रतिनिधि
xiv-	दस आचार्य जो विभागाध्यक्ष / अधिष्ठाता नहीं हैं परंतु वह वे आचार्य / निदेशक / प्राचार्य की स्थिति रखते हैं। प्रत्येक विद्यालय / केंद्र / कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने वाले आचार्य/ निदेशक / प्रधानाध्यापक कुलपति द्वारा आवर्तन के आधार पर नामित। प्रत्येक विभाग / स्कूल / केंद्र को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जब तक सभी का प्रतिनिधित्व न हो जाए तब तक आवर्तन किया जाएगा।
xv-	दो सहआचार्य जो शिक्षण विभाग के प्रमुख नहीं हैं। सहआचार्य जो प्रत्येक स्कूल / केंद्र / कॉलेज का प्रतिनिधित्व करेंगें जिन्हें कुलपति द्वारा आवर्तन पर नामित किया जाएगा । प्रत्येक विभाग/विद्यालय/केन्द्र को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जब तक सभी का प्रतिनिधित्व न हो जाए तब तक आवर्तन किया जाएगा।
xvi-	आवर्तन पर दो सहायक आचार्य, जिन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा ।

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रतिनीधि	
xvii-	शिक्षणेतर कर्मचारियों के तीन सदस्य, समूह 'क' कर्मचारियों में से एक, समूह 'ख' कर्मचारियों में से एक और समूह 'ग' कर्मचारियों में से एक, को आवर्तन के आधार पर कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा ।
	शिष्ट व्यवसायों तथा विशेष रुचि का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति
xviii-	छह व्यक्ति जो शिष्ट व्यवसायों एवं विशेष रुचि का प्रतिनिधित्व करेंगें जिसमें उद्योग के प्रतिनिधि, वाणिज्य, ट्रेड यूनियन, बैंकिंग, कृषि, स्वास्थ्य और संस्कृति, वित्तीय संस्थानों, विधि, नौकरशाही, पुलिस / सेना, प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, इंजीनियरिंग / वास्तुकला, मीडिया, टीवी / फिल्म, सामाजिक कार्य, कॉर्पोरेट आदि शामिल हैं को अकादमिक परिषद द्वारा नामित किया जाना चाहिए ।
	कुलाधिपति के नामित
xix-	कुलाधिपति द्वारा कुलपतियों एवं प्रख्यात विद्वानों में से दो व्यक्तियों को नामित किया जाएगा ।
xx-	एक पूर्व छात्र और विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि ।

2. कोर्ट के सभी सदस्य, पदेन सदस्यों के अतिरिक्त, के कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष होगी ।

3. विश्वविद्यालय का अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान का कोई भी कर्मचारी मद (xviii) एवं (xix) के अंतर्गत सदस्य बनने के पात्र नहीं होंगे।

4. कोर्ट की वार्षिक बैठक कार्यकारिणी परिषद द्वारा तय की जाने वाली तिथि को आयोजित की जाएगी जब तक कि कोर्ट द्वारा कोई अन्य तिथि किसी वर्ष के संबंध में तय नहीं की गई है।

5. कोर्ट की वार्षिक बैठक में, पिछले वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कामकाज पर एक रिपोर्ट, प्राप्तियां और व्यय के विवरण के साथ, लेखापरीक्षित तुलनपत्र, एव अगले वर्ष के लिए वित्तीय अनुमान को प्रस्तुत किया जाएगा।

6. प्राप्तियां और व्ययों की प्रति, तुलनपत्र और खंड (5) में निर्दिष्ट वित्तीय अनुमान वार्षिक बैठक की तिथि से कम से कम सात दिन पहले कोर्ट के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाएगा।

7. कार्यकारिणी परिषद अथवा कुलपति अथवा यदि कुलपति न हों, समकुलपति अथवा समकुलपति न हों, तो कुलसचिव द्वारा कोर्ट की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।

8. कोर्ट के 25 सदस्यों से कोर्ट की बैठक के लिए गणपूर्ती होगी।

मोहम्मद इकबाल, उप कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/38/17]

CENTRAL UNIVERSITY OF JAMMU

NOTIFICATION

Jammu, the 10th April, 2017

No. CUJ.Estab. T-104/2016/496.—The following is published for general information :—

Statute – 10 (Amendment)

CONSTITUTION OF THE COURT

1. **The Court shall consist the following members:**

S. No.	Composition
	Ex-Officio Member
i.	Chancellor, Chairperson
ii.	Vice Chancellor
iii.	Pro-Vice Chancellor
iv.	All Deans
v.	Two members of the Executive Council to be nominated by the Executive Council.
vi.	All Head of Departments (HoDs)
vii.	Four members to be nominated by the Visitor
viii.	Dean Students' Welfare
ix.	Registrar
x.	Librarian
xi.	Proctor
xii.	Controller of Examinations
xiii.	Finance Officer
	Representatives of Teachers out of Directors/Principals/Professors
xiv.	Ten Professors who are not Heads/Deans but they hold the status of Professor/Director/Principal. The Professors/Directors/Principals to be nominated by the Vice Chancellor representing each School/Centre/ College on the rotation. The representation shall be given to each Department./School/Centre. The rotation shall be carried till all get representation.
xv.	Two Associate Professors who are not Heads of Teaching Departments. The Associate Professors to be nominated by the Vice Chancellor representing each School/Centre/ College on the rotation. The representation shall be given to each Department./School/Centre. The rotation shall be carried till all get representation.
xvi.	Two Assistant Professors by rotation, to be nominated by the Vice Chancellor.
	Representatives of Non-Teaching Staff
xvii.	Three members of the non-teaching Staff, one from group 'A' Staff , one from group 'B' Staff and one from group 'C', to be nominated by the Vice Chancellor on rotation basis.
	Persons representing learned Professions and Special interests
xviii.	Six persons representing learned professions and special interests including representatives of Industry, Commerce, Trade Unions, Banking, Agriculture, Health & Culture, Financial Institutions, Legal, Bureaucrat, Police/Army, Eminent Academicians, Engineering, Architecture, Media, TV/Film, Social Work, Corporate, etc. to be nominated by the Executive Council.
	Nominees of the Chancellor
xix.	Two persons to be nominated by the Chancellor from Vice Chancellors and Eminent Academicians.
xx.	One Alumni and student council representative.

2. All members of the Court, other than the ex-officio members, shall hold office for a term of three years.

3. No employee of the University or of an Institution recognized by or associated with the University shall be eligible to become a member under items (xviii) and (xix).

4. An annual meeting of the Court shall be held on a date to be fixed by the Executive Council unless some other date has been fixed by the Court in respect of any year.

5. At an annual meeting of the Court, a report on the working of the University during the previous year, together with a statement of the receipts and expenditure, the balance sheet as audited, and the financial estimates for the next year shall be presented.

6. A copy of the statement of receipts and expenditures, the balance-sheet and the financial estimates referred to in clause (5) shall be sent to every member of the Court at least seven days before the date of the annual meeting.

7. Special meetings of the Court may be convened by the Executive Council or the Vice Chancellor or if there is no Vice-Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor or if there is no Pro-Vice-Chancellor, by the Registrar.

8. Twenty five members of the Court shall form a quorum for a meeting of the Court.

MOHAMMED IQBAL, Dy. Registrar

[ADVT-III/4/Exty./38/17]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.05.04 12:28:17 +05'30'

197

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 388] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 25, 2016/कार्तिक 3, 1938
No. 388] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 2016/KARTIKA 3, 1938

जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय

अधिसूचना

जम्मू, 21 अक्तूबर, 2016

सी.यू.जे./स्था.ये.–104/2016/1639.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

संविधि – 41

डीन, विद्यार्थी कल्याण

(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009; खंड 27(2))

निम्नलिखित को संविधि 40 क के बाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की दूसरी अनुसूची में शामिल विश्वविद्यालय की संविधियों में संविधि 41 के रूप में जोड़ा जाएगा

डीन, विद्यार्थी कल्याण

41. (1) डीन, विद्यार्थी कल्याण की नियुक्ति कुलपति की अनुशंसा पर कार्यकारिणी परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से की जाएगी जिसका पद एसोसिएट प्रोफेसर के पद से कम नहीं होगा।

(2) खंड (1) के अधीन नियुक्त डीन पूर्णकालिक अधिकारी होगा और तीन वर्ष का कार्यकाल होगा तथा पुनः–नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

परन्तु कार्यकारी परिषद्, यदि ऐसा जरूरी समझे तो, कुलपति की अनुशंसा पर किसी अध्यापक जोकि एसोसिएट प्रोफेसर पद से कम नहीं हो, को उसकी डयूटी के अलावा डीन, विद्यार्थी कल्याण के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्ति कर सकती है और ऐसी स्थिति में कार्यकारी परिषद् उसे उपयुक्त भत्ता देने की मंजूरी दे सकती है।

(3) डीन, विद्यार्थी कल्याण के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति का उसके स्थायी पद पर पुनग्रहणाधिकार बना रहेगा और उन सभी लाभों के लिए योग्य होगा जो उसे तब प्रोद्भूत जब उसे डीन, विद्यार्थी कल्याण नहीं बनाया गया होता।

(4) जब डीन, विद्यार्थी कल्याण का पद खाली होता है अथवा जब डीन, विद्यार्थी कल्याण बीमारी की वजह से अथवा अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ रहता है तो उस पद के कार्य ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए जाएंगे जिसे इस प्रयोजन के लिए कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(5) डीन, विद्यार्थी कल्याण के कर्तव्य और शक्तियाँ अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

संविधि –5(संशोधित)

स्कूलों के डीन

(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009; खंड 27(2))

42. केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की दूसरी अनुसूची में शामिल विश्वविद्यालय की संविधियों में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे;

1. संविधि 5(1) और 5(2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा:

5 (1) प्रत्येक स्कूल डीन स्कूल के प्रोफेसरों में से वरिष्ठता और/उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए बारी–बारी से कुलपति द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा।

परन्तु यदि स्कूल में केवल एक प्रोफेसर अथवा कोई प्रोफेसर नहीं हो तो स्कूल डीन के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कुलपति उपयुक्त व्यवस्थाएं करेंगे।

परन्तु यह भी कि डीन बासठ वर्ष की उम्र होने तक इस पद पर रह सकते हैं।

(2) जब डीन का पद खाली होता है अथवा जब डीन बीमारी की वजह से अथवा अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ रहता है तो उस पद के कार्य ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए जाएंगे जिसे इस प्रयोजन के लिए कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

संविधि –11 (संशोधित)

कार्यकारी परिषद् का संघटन

(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009; खंड 21(2) और खंड 27(2))

43. केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की दूसरी अनुसूची में शामिल विश्वविद्यालय की संविधियों में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे;

1. संविधि 11 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा:

कार्यकारी परिषद् का संघटन

11. (1) विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:–

क) कुलपति;

ख) प्रो–कुलपति;

ग) सचिव; उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार अथवा उनका नामिती जिसका पद संयुक्त सचिव से कम नहीं होना चाहिए;

घ) अध्यक्ष, यूजीसी अथवा उनका नामिती;

ङ) राज्य सरकार के सचिव जो उच्चतर शिक्षा से संबंधित मामले देखते हैं;

च) विजिटर द्वारा नामित शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट चार व्यक्ति;

छ) तीन प्रख्यात शिक्षाविद् जो विश्वविद्यालय में सेवारत नहीं हों, कार्यकारी परिषद् द्वारा अनुशंसित पैनल में से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नामित किया जाएगा;

ज) विजिटर द्वारा नामित कोर्ट का एक सदस्य;

झ) तीन डीन, अध्ययन स्कूल वरिष्ठता के अनुसार बारी–बारी से;

ञ) एक प्रोफेसर, जो डीन नहीं हो, वरिष्ठता के अनुसार बारी–बारी से, कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा; और

ट) एक एसोसिएट प्रोफेसर जो डीन नहीं हो, वरिष्ठता के अनुसार बारी–बारी से जिसे कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा।

कार्यकाल

(2) कार्यकारी परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल, पदेन सदस्यों से इतर, तीन वर्ष होगा।

परन्तु अध्ययन स्कूलों के डीनों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

कोरम

(3) गठित कार्यकारी परिषद् के कुल सदस्यों के आधे कार्यकारी परिषद् की बैठक के लिए कोरम होगा।

संविधि –13(संशोधित)

अकादमिक परिषद् का संघटन

(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009; खंड 22(2) और खंड 27(2))

44. केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की दूसरी अनुसूची में शामिल विश्वविद्यालय की संविधियों में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे;

1.

2. संविधि 13 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा:

अकादमिक परिषद् का संघटन

13. (1) अकादमिक परिषद् में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:–

क) कुलपति – अध्यक्ष

ख) प्रो–कुलपति

ग) डीन, अध्ययन स्कूल

घ) डीन, विद्यार्थी कल्याण

ङ) प्रोक्टर

च) पुस्तकालयाध्यक्ष

छ) कोर्ट द्वारा नामित किए जाने वाले कोर्ट के चयनित सदस्यों में से कोर्ट का एक सदस्य,

ज) कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले वरिष्ठता आधार पर तथा बारी–बारी से अध्ययन विभागों के दस प्रमुख।

झ) कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले वरिष्ठता तथा बारी–बारी आधार पर पांच केन्द्र निदेशक, यदि कोई हों,

ञ) दो प्रोफेसर, जो अध्ययन स्कूलों के डीन अथवा विभागों/केन्द्रों के प्रमुख और कार्यकारी परिषद् के सदस्य नहीं हों, कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले,

ट) दो एसोसिएट प्रोफेसर, जो उपर्युक्त (ग), (घ) और (ङ) में शामिल नहीं हों, अथवा विभाग प्रमुख अथवा केन्द्र निदेशक नहीं हों अथवा जो कार्यकारी परिषद् के सदस्य नहीं हों, वरिष्ठता के अनुसार बारी–बारी से, कुलपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

ठ) दो सहायक प्रोफेसर, जो कार्यकारी परिषद् के सदस्य नहीं हों, वरिष्ठता के अनुसार बारी–बारी से, कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

ड) दस सदस्य, जो विश्वविद्यालय में सेवारत नहीं हों, शैक्षणिक प्रगति, विकास तथा उद्योग से जुड़े विशेष ज्ञान वाले कार्यकारी परिषद् द्वारा सहयोजित।

कार्यकाल

(2) अकादमिक परिषद् के सभी सदस्यों, पदेन सदस्यों से इतर, का कार्यकाल तीन वर्ष रहेगा।

कोरम

(3) गठित अकादमिक परिषद् के कुल सदस्यों के आधे अकादमिक परिषद् की बैठक के लिए कोरम होगा।

संविधि –45(संशोधित)

केन्द्रों के निदेशकों की नियुक्ति

(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009; खंड 27(2))

45. केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की दूसरी अनुसूची में शामिल विश्वविद्यालय की संविधियों में, संविधि 15 के बाद, संविधि 15क और 15ख रूप में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

अध्ययन केन्द्र

15A (क) विश्वविद्यालय में विभिन्न स्कूलों के अधीन अध्ययन केन्द्र होंगे जो संविधि 15 के खंड (5) के प्रावधान के अनुसार स्थापित किए गए हों।

(ख) अध्ययन केन्द्र अंतर–शिक्षण को सुगम बनाने और प्रोत्साहित करने तथा महत्वपूर्ण शोध क्षेत्रों में कार्य करने के लिए भौतिक और बौद्धिक स्थान प्रदान करेंगे।

(ग) सामान्यतः केन्द्रों में पूर्णकालिक संकाय नहीं होगी परन्तु अंतर–शिक्षण/महत्वपूर्ण क्षेत्र शोध में इच्छुक विश्वविद्यालयो के विभिन्न विभागों से संकाय सदस्यों को विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर केन्द्रों में रखा जा सकता है। एक केन्द्र में अतिथि फेलो, स्कॉलर इन रेजीडेंस, आधिवय संकाय होगी।

केन्द्रों के निदेशक

15B (क) प्रत्येक केन्द्र में एक केन्द्र निदेशक होगा जिसे कुलपति द्वारा प्रोफेसरों में से नियुक्त किया जाएगा और वरिष्ठता और/अथवा उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए बारी–बारी आधार पर केन्द्र में रखा जाएगा।

परन्तु यदि केन्द्र में केवल एक प्रोफेसर हो तो केन्द्र का निदेशक प्रोफेसरों में से वरिष्ठता और/अथवा उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए बारी–बारी आधार पर वरिष्ठतम एसोसिएट प्रोफेसर को नियुक्त किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि यदि केन्द्र में कोई प्रोफेसर नहीं रखा गया हो तो निदेशक वरिष्ठता और/अथवा उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए बारी–बारी आधार पर एसोसिएट प्रोफेसरों में से नियुक्त किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि यदि कोई प्रोफेसर अथवा एसोसिएट प्रोफेसर नहीं हो तो केन्द्र में संबद्ध स्कूल का डीन केन्द्र के निदेशक के रूप में कार्य करेगा।

मोहमद इकबाल, प्रभारी रजिस्ट्रार
[विज्ञापन–III/4/असा./279/16(383)]

CENTRAL UNIVERSITY OF JAMMU

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2016

CUJ/Estab.T.104/2016/1639.—The following is published for general information :—

STATUTE – 41

DEAN OF STUDENTS' WELFARE

(The Central Universities Act, 2009; Section 27(2))

The following shall be added as Statute 41 to the Statutes of the University contained in the Second Schedule to the Central Universities Act, 2009, after Statute 40.

Dean of Students' Welfare

41. (1) The Dean of Students' Welfare shall be appointed from amongst the teachers of the University, not below the rank of Associate Professor, by the Executive Council on the recommendation of the Vice Chancellor.

(2) The Dean appointed under clause (1) shall be a whole-time officer and shall hold office for a term of three years and shall be eligible for re-appointment.

Provided that the Executive Council may, if it is considered necessary appoint, on the recommendation of the Vice Chancellor, a teacher, not below the rank of Assocaite Professor, to discharge the duties of the Dean of Students' Welfare in addition to his/her duties as such teacher and in such a case, the Executive Council may sanction a suitable allowance to be paid to him/her.

(3) A person who is appointed as a Dean of Students' Welfare shall continue to hold his/her lien on his substantive post and shall be eligible to all the benefits that would have otherwise accrued to him/her but for his/her appointment as the Dean of Students' Welfare.

(4) When the office of Dean of Students' Welfare is vacant or when the Dean of Students' Welfare is, by reason of illness or absence or any other cause, unable to perform the duties of his/her office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice Chancellor may appoint for the purpose.

(5) The duties and powers of Dean of Students' Welfare shall be prescribed by the Ordinances.

STATUTE – 5 (AMENDED)

DEANS OF SCHOOLS

(The Central Universities Act, 2009; Section 27(2))

42. The following amendments shall be made in the Statutes of the University contained in the Second Schedule to the Central Universities Act, 2009;

1. Statutes 5(1) and 5(2) shall be substituted as under:

5 (1) Every Dean of the School shall be appointed by the Vice Chancellor from amongst the Professors of the School on the basis of rotation with due regard to seniority and/or suitability for a period of three years.

Provided that in case there is only one Professor or no Professor in a School, the Vice Chancellor shall make suitable arrangements to discharge the duties of the Dean of the School.

संविधि –13(संशोधित)

अकादमिक परिषद् का संघटन

(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009; खंड 22(2) और खंड 27(2))

44. केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की दूसरी अनुसूची में शामिल विश्वविद्यालय की संविधियों में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे;

1.

2. संविधि 13 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा:

अकादमिक परिषद् का संघटन

13. (1) अकादमिक परिषद् में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:–

क) कुलपति – अध्यक्ष

ख) प्रो–कुलपति

ग) डीन, अध्ययन स्कूल

घ) डीन, विद्यार्थी कल्याण

ङ) प्रोक्टर

च) पुस्तकालयाध्यक्ष

छ) कोर्ट द्वारा नामित किए जाने वाले कोर्ट के चयनित सदस्यों में से कोर्ट का एक सदस्य,

ज) कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले वरिष्ठता आधार पर तथा बारी–बारी से अध्ययन विभागों के दस प्रमुख।

झ) कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले वरिष्ठता तथा बारी–बारी आधार पर पांच केन्द्र निदेशक, यदि कोई हों,

ञ) दो प्रोफेसर, जो अध्ययन स्कूलों के डीन अथवा विभागों/केन्द्रों के प्रमुख और कार्यकारी परिषद् के सदस्य नहीं हों, कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले,

ट) दो एसोसिएट प्रोफेसर, जो उपर्युक्त (ग), (घ) और (ङ) में शामिल नहीं हों, अथवा विभाग प्रमुख अथवा केन्द्र निदेशक नहीं हों अथवा जो कार्यकारी परिषद् के सदस्य नहीं हों, वरिष्ठता के अनुसार बारी–बारी से, कुलपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

ठ) दो सहायक प्रोफेसर, जो कार्यकारी परिषद् के सदस्य नहीं हों, वरिष्ठता के अनुसार बारी–बारी से, कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

ड) दस सदस्य, जो विश्वविद्यालय में सेवारत नहीं हों, शैक्षणिक प्रगति, विकास तथा उद्योग से जुड़े विशेष ज्ञान वाले कार्यकारी परिषद् द्वारा सहयोजित।

कार्यकाल

(2) अकादमिक परिषद् के सभी सदस्यों, पदेन सदस्यों से इतर, का कार्यकाल तीन वर्ष रहेगा।

कोरम

(3) गठित अकादमिक परिषद् के कुल सदस्यों के आधे अकादमिक परिषद् की बैठक के लिए कोरम होगा।

संविधि –45(संशोधित)

केन्द्रों के निदेशकों की नियुक्ति

(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009; खंड 27(2))

45. केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की दूसरी अनुसूची में शामिल विश्वविद्यालय की संविधियो में, संविधि 15 के बाद, संविधि 15क और 15ख रूप में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

अध्ययन केन्द्र

15A (क) विश्वविद्यालय में विभिन्न स्कूलों के अधीन अध्ययन केन्द्र होंगे जो संविधि 15 के खंड (5) के प्रावधान के अनुसार स्थापित किए गए हों।

(ख) अध्ययन केन्द्र अंतर–शिक्षण को सुगम बनाने और प्रोत्साहित करने तथा महत्वपूर्ण शोध क्षेत्रों में कार्य करने के लिए भौतिक और बौद्धिक स्थान प्रदान करेंगे।

(ग) सामान्यतः केन्द्रों में पूर्णकालिक संकाय नहीं होगी परन्तु अंतर–शिक्षण/महत्वपूर्ण क्षेत्र शोध में इच्छुक विश्वविद्यालयो के विभिन्न दिभागों से संकाय सदस्यों को विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर केन्द्रों में रखा जा सकता है। एक केन्द्र में अतिथि फेलो, स्कॉलर इन रेजीडेंस, आधिक्य संकाय होगी।

Provided further that a Dean on attaining the age of sixty five years shall cease to hold office as such.

(2) When the office of the Dean is vacant or when the Dean is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform duties of his office, the duties of the office shall be discharged by a person so appointed by the Vice Chancellor.

STATUTE – 11 (AMENDED)

CONSTITUTION OF THE EXECUTIVE COUNCIL

(The Central Universities Act, 2009; Section 21(2) and Section 27(2))

43. The following amendments shall be made in the Statues of the University contained in the Second Schedule to the Central Universities Act, 2009.

2. Statute 11 shall be substituted as under:

Constitution of Executive Council

11. (1) The Executive Council of the University shall consist of the following members:

a) Vice-Chancellor;

b) Pro-Vice-Chancellor;

c) Secretary, Department of Higher Education, MHRD, GoI or his/her nominee not below the rank of Joint Secretary;

d) Chairman, UGC or his/her nominee;

e) Secretary of the State Government dealing with matters relating to Higher Education;

f) Four persons of distinction in academics to be nominated by the Visitor;

g) Three eminent academicians not in the service of the University, to be nominated by the MHRD from amongst a panel recommended by the Executive Council;

h) One member of the Court nominated by the Visitor;

i) Three Deans of Schools of Studies by rotation according to seniority;

j) One Professor, who is not a Dean, by rotation according to seniority, to be nominated by the Vice-Chancellor; and

k) One Associate Professor who is not a Dean, by rotation according to seniority to be nominated by the Vice-Chancellor.

Term of office

(2) Term of office of the members of the Executive Council, other than the ex-officio members, shall be three years.

Provided that the term of office of Deans of Schools of Studies shall be for three years.

Quorum

(3) Half of the total members of the constituted Executive Council shall form a quorum for a meeting of the Executive Council.

STATUTE – 13 (AMENDED)

CONSTITUTION OF THE ACADEMIC COUNCIL

(The Central Universities Act, 2009; Section 22(2) and Section 27(2))

44. The following amendments shall be made in the Statutes of the University contained in the Second Schedule to the Central Universities Act, 2009.

1. Statute 13 shall be substituted as under:

Constitution of Academic Council

13. (1) The Academic Council shall consist of the following members:
- a) The Vice Chancellor – Chairman
- b) The Pro-Vice Chancellor
- c) Deans of Schools of Studies
- d) Dean of Students Welfare
- e) Proctor
- f) Librarian
- g) One member of the Court from amongst the elected members of the Court to be nominated by the Court,
- h) Ten Heads of teaching departments on the basis of seniority and rotation to be nominated by the Vice Chancellor,
- i) Five Directors of Centres, if any, on the basis of seniority and rotation, to be nominated by the Vice Chancellor
- j) Two Professors, who are not Deans of Schools of Studies or Heads of the Departments/Centres and are not members of the Executive Council, from each School, on the basis of seniority and rotation, to be nominated by the Vice Chancellor.
- k) Two Associate Professor, who are not covered in (c), (d) and (e) above, or not Heads of the Departments or not Directors of Centres or who are not members of the Executive Council, by rotation according to seniority, to be appointed by the Vice Chancellor.
- l) Two Assistant Professor, who are not members of the Executive Council, by rotation according to seniority, to be appointed by the Vice Chancellor.
- m) Ten persons, not in the service of the University, co-opted by the Academic Council for their special knowledge in educational progress, development and industry linkage.

Term of office

(2) All members of the Academic Council, other than the ex-officio members, shall hold office for a term of three years.

Quorum

(3) Half of the total members of the constituted Academic Council shall form the quorum for the meeting of the Academic Council.

STATUTE – 45 (AMENDED)

APPOINTMENT OF DIRECTORS OF THE CENTRES

(The Central Universities Act, 2009; Section 27(2))

45. The following shall be added as Statutes 15A and 15B, after Statute 15, to the Statutes of the University contained in the Second Schedule to the Central Universities Act, 2009 -

Centres of Studies

15A (a) The University shall have such Centres of Studies under different Schools as may be established in accordance with proviso to clause (5) of Statute 15.

(b) The Centres of Studies shall provide physical and intellectual space to facilitate, undertake and promote inter-disciplinary and thrust area research.

(c) Normally the Centres shall not have full-time faculty but faculty members from different departments of the Universities interested in inter-disciplinary/thrust-area research may be placed in such Centres on

191

such terms and conditions as determined by the University. A Centre may have Visiting Fellow, Scholar in Residence, Adjunct Faculty.

Directors of Centres

15B (a) Each Centre shall have a Director of the Centre, who shall be appointed by the Vice Chancellor from amongst the Professors placed in the Centre on the basis of rotation with due regard to seniority and/or suitability.

Provided that if a Centre has only one Professor, the Director of the Centre shall be appointed from amongst the Professor and the senior most Associate Professor on the basis of rotation with due regard to seniority and/or suitability.

Provided further that if a Centre has no Professor placed in it, the Director shall be appointed from amongst the Associate Professors on the basis of rotation with due regard to seniority and/or suitability.

Provided also that if there is no Professor or an Associate Professor, in a Centre, the Dean of the School concerned shall act as Director of the Centre.

MOHAMMAD IQBAL, I/C Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./279/16(383)]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.07.26 11:09:00 +05'30'